झारखंड उच्च न्यायालय में 4 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को **झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन** ने चार नये जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में शामिल हैं- **अंबुज नाथ, गौतम कुमार चौधरी, नवनीत कुमार एवं संजय प्रसाद।**
- विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय **कॉलेजियम के द्वारा केंद्र सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये 5 जजों के नामों की सिफारिश की गई थी, किंतु केंद्र सरकार के द्वारा चार नामों को ही स्वीकृति प्रदान की गई।**
- झारखंड उच्च न्यायालय में **जजों के कुल स्वीकृत पद 25** हैं, किंतु इन नई नियुक्तियों के बाद भी जजों की **कुल पदस्थापित संख्या वर्तमान में केवल 19** है।
- ध्यातव्य है कि झारखंड राज्य निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम **6 मार्च, 1972 को राँची में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना** की गई थी, जिसे **1976 में एक स्थायी बेंच का दर्ज़ा** प्राप्त हुआ, किंतु **वर्तमान रूप में झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में** आया, जब बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक नये राज्य झारखंड का उदय हुआ।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/appointment-of-four-new-judges-in-jharkhand-high-court